

7/8/24

वकील मम प्रतिमा ने उपस्थित होकर दावा बिद्धि
प्रपत्र मूल वाद में पेश किया। अवलोकना नुसार
मूल दावा बिद्धि प्रपत्र के आधार पर खारिज
किया जानका है इसलिए अब T.I प्रपत्र
का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है इसलिए
T.I प्रपत्र खारिज किया जाता है परामर्श
फैसल सुनार होकर दृष्ट नम्बर सै कम हो
आदेश रुबले न्यायालय में सुनाया गया है


अक्षय


दत्त
सुब्रह्मण्य

J.V.
Abdu

07/08/2024

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक